

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम (म.प्र.)

:: नीलामी विज्ञप्ति ::

क्रमांक ५३२७/लेखा/२५

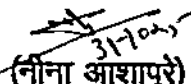
रतलाम, दिनांक ३१.१०. २०२५

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम के जिला मुख्यालय रतलाम पर दो अनुपयोगी शासकीय वाहन Mahindra XYLO MP-02-HC-0156 (Year 2010) को पुर्ननिर्धारित अपलेखन मूल्य 70,000/-रुपये एवं Mahindra XYLO MP-02-HC-0157 (Year 2010) को पुर्ननिर्धारित अपलेखन मूल्य 75,000/-रुपये पर सार्वजनिक नीलामी 'जैसी स्थिति में है उसी स्थिति' में दिनांक 25.11.25 (मंगलवार) को दोपहर 2 से 3 बजे के मध्य में पृथक-पृथक की जाना है।

इस हेतु बोलीदार को प्रत्येक वाहन के लिए रुपये 5,000/- (अक्षरी पांच हजार रुपये मात्र) की नगद धरोहर राशि नज्जरत अनुविभाग, जिला न्यायालय रतलाम में दिनांक 24.11.25 को सायं 5 बजे तक जमा कराना आवश्यक होगी। साथ ही बोली अंतिम होने पर जमा कराई गई धरोहर राशि के समायोजन पश्चात शेष संपूर्ण धनराशि का भुगतान बोली अंतिम होने के अगले कार्य दिवस तक जमा कराना होगा और असफल बोलीदार की धरोहर राशि नीलामी कार्यवाही संपूर्ण होने के पश्चात् तत्काल वापस लौटायी जावेगी। वाहन का भौतिक निरीक्षण न्यायालय परिसर रतलाम में किया जा सकेगा।

नीलामी की शर्तें निम्नानुसार रहेगी :-

1. वाहन जिस हालत में है, उसी हालत में सौंपा जावेगा।
2. निर्धारित तिथि एवं समय-सीमा के पश्चात नीलाम बोली मान्य नहीं होगी। प्रधान जिला न्यायाधीश रतलाम द्वारा नीलाम बोली की समय-सीमा बढ़ाई जा सकेंगी।
3. बोलीदार को वाहन की धरोहर राशि प्रत्येक वाहन हेतु राशि 5,000/-रुपये दिनांक 24.11.25 को सायं 5 बजे तक नज्जरत अनुविभाग, जिला न्यायालय, रतलाम में जिला नाजिर के पास नगद जमा कर रसीद प्राप्त करना होगी।
4. असफल बोलीदारों की धरोहर राशि वापस कर दी जावेगी।
5. सफल बोलीदारों की धरोहर राशि का समायोजन स्वीकृत राशि के विरुद्ध किया जावेगा तथा क्रेता को नीलामी स्वीकृति के अगले कार्य दिवस तक समस्त राशि जमा करानी होगी।
6. सफल बोलीदार द्वारा अपरिहार्य कारणों से वाहन लेने से इन्कार करने पर जमा की गई धरोहर राशि 5,000/-रुपये राजसात की जाकर, नीलाम कार्यवाही हेतु नवीन तिथि निर्धारित की जाकर नीलाम कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।
7. नीलामी के किसी बिंदु पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम का होगा।
8. बोलीदार उल्लेखित वाहन का अवलोकन कार्यालयीन समय में जिला नाजिर, नज्जरत अनुभाग, जिला न्यायालय रतलाम को सूचना देकर प्रातः 11 से 2 बजे के मध्य जिला न्यायालय परिसर रतलाम में कर सकते हैं।
9. सफल बोलीदार को वाहन 03 दिवस के भीतर समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अनिवार्य रूप से ले जाना होगा।
10. ऐसे बोलीदार जिनके द्वारा अधिक बोली लगाई जाकर वाहन कय किया जाता है वे जिला परिवहन विभाग से अंतरण संबंधी कार्यवाही में होने वाले व्ययों का भुगतान स्वयं वहन करेंगे।


(नीना आशापुरे)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रतलाम म.प्र.